BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 सितम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 03 अपराधियों को 06-06 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. ताज मौहम्मद पुत्र खैर मौहम्मद निवासी पीतमपुर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर 2. फैजान पुत्र खैर मौहम्मद निवासी जमालपुर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ 3. नूर पुत्र वहीद निवासी मौहल्ला सुलेमान थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष-2022 में जालसाजी/धोखाधड़ी जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी व अभियुक्तों के कब्जे से 02, चार पहिया वाहन बरामद हुए थे। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.01.2022 को थाना पहासू पर मुअसं- 13/22 धारा-420/468/413/414 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 28.01.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.09.2023 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-15, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. ताज मौहम्मद, 2. फैजान, 3. नूर को 06-06 वर्ष का कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर